

**Court No. - 12**

**Case :-** CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 28170 of 2018

**Petitioner :-** Ram Suhawan

**Respondent :-** State Of U.P. Thru. Secy. Home And Ors.

**Counsel for Petitioner :-** Nripendra Mishra

**Counsel for Respondent :-** Govt. Advocate

**Hon'ble Saurabh Lavania, J.**

1. Heard learned counsel for the petitioner and learned A.G.A. for the State as well as perused the records.

2. By means of the present petition, the petitioner has sought following main relief:

*"Issue a writ, order or direction in the nature of CERTIORARI to quash the impugned orders dated 25.07.2018, passed by learned Additional Sessions Judge/Special Judge (E.C. Act), Bahraich in Crl. Revision No. 114 of 2015 (Ram Suhawan Versus Mukta Prasad & other) and the order dated 21.04.2015 passed by Chief Judicial Magistrate, Bahraich in Complaint Case No. 3562 of 2014 (Ram Suhawan Versus Mukta Prasad and another) relating to P.S. Ikona, District -Bahraich, Annexure NO.182. to the writ petition."*

3. Brief facts of the case are to the effect that:

(i) According to application under Section 156(3) Cr.P.C. and FIR, subsequently registered as Complaint Case No. 3562 of 2014, one Smt. Shyama Dei, who was issue-less, provided half of her agricultural land, indicated herein-under, to Jag Prasad (father of the petitioner) and Shanti Prasad (respondent no. 3) and half of the land was provided to Mukta Prasad (respondent no. 2) and Vidya Prasad and she also provided the possession of the land accordingly.

*"Gata No(s). 171/0.200 acre, 101/0.040 acre, 235/0.040 acre, 238/0.400 acre and 300/11.062 acres."*

(ii) To establish the aforesaid fact, some documents ought to have been filed such as 'Sale Deed', 'Gift Deed', 'Will', etc. but no document was filed nor has been filed before this Court.

(iii) According to case set up by the petitioner, the Mukta Prasad (respondent no. 2) and Shanti Prasad (respondent no.

3) got executed a sale deed in their favour by Smt. Shyama Dei on 14.12.1970 and thereafter, on coming to know about the sale deed dated 14.12.1970, an objection was filed before the Consolidation Officer.

(iv) It would be apt to indicate that in compliance of order of Magistrate the FIR was lodged and thereafter, the Investigating Officer, upon completion of investigation, submitted the final report. Against the final report the protest petition was filed by the petitioner, which was registered as complain case in terms of Section 2(d) of Cr.P.C.. Thereafter, the statement(s) of the petitioner and his witnesses namely Rama Shankar (P.W.1) and Swami Nath (P.W.2) were recorded in terms of Section(s) 200 and 202 Cr.P.C..

4. The Magistrate after considering material on record dismissed the complaint case in exercise of power under Section 203 Cr.P.C. vide order impugned dated 21.04.2015. The relevant portion of the order reads as under:

‘मैनी तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का यह स्वीकृत तथ्य है कि श्रीमती श्यामदेई निसंतान थी तथा आराजी गाटा सं० १७१, 101, २३५, २३८ व ३०० स्थित ग्राम सरकाही, परगना इकौना, तहसील व जिला बहराइच उनकी सम्पत्ति थी आवेदक ने उक्त श्रीमती श्यामदेई द्वारा उपरोक्त आराजी परिवादी पिता तथा विपक्षीगण सहित विद्या प्रसाद को १/२, १/२ भाग देने का अभिकथन किया है। श्रीमती श्यामदेई आवेदक की रिश्तेदारी में क्या लगती थी इसका उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया है। तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि श्रीमती श्यामदेई ने आवेदक के पिता व विपक्षीगण सहित विद्या प्रसाद को अपनी सम्पत्ति को बैनामा, हिबानामा, वरासत, दान इत्यादि किस प्रकार से दिया था विधि में से उपरोक्त तरीके ही सम्पत्ति अंतरण हेतु विद्यमान हैं। आवेदक द्वारा मात्र यह कह देने कि श्रीमती श्यामदेई ने प्रश्नगत सम्पत्ति उसके पिता तथा विद्या प्रसाद को दे दिया विश्वसनीय नहीं है। दाखिल इंतखाब की छाया प्रति के अनुसार श्रीमती श्यामदेई की मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण का नाम बैनामें के आधार पर दर्ज किए जाने का उल्लेख है। यदि उक्त वरासत के विषय में आवेदक को एतराज है तब उसे चाहिए कि वह सक्षम राजस्व न्यायालय में वरासत आदेश को चुनौती देता तथा अपने द्वारा लिये गये कथन कि श्रीमती श्यामदेई ने अपनी आराजी उसके पिता तथा विपक्षीगण सहित विद्या प्रसाद को दे दिया था के आधार पर अपना नाम श्रीमती श्यामदेई के मृत्योपरान्त वरासतन दर्ज कराये।

धारा २०० दं० प्र० सं० के बयान में राम सुहावन ने पुनः यही कहा है कि श्रीमती श्यामदेई ने आराजी गाटा सं० १७१, १८१, २३५, २३८, व ३०० अपने जीवनकाल में मेरे पिता व विपक्षी शान्ती प्रसाद, मुक्ता प्रसाद तथा विद्या प्रसाद को १/२, १/२ भाग दे दिया आराजी किसे किस प्रकार अंतरित हुयी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। आराजी कृषि योग्य है यदि वास्तव में श्रीमती श्यामदेई ने अपने जीवन काल में उक्त आराजी परिवादी पिता विपक्षीगण सहित विद्या प्रसाद को दे दिया था तो आवेदक के पिता को चाहिए था कि वे प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में धारा २२९बी उ० प्र० ज़िमीदारी विनाश

एवं भूमि सुधार अधिनियम अन्तर्गत स्वत्व उदघोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करते। पी०डब्लू०१ राम शंकर ने धारा २०२ दं०प्र०सं० के बयान में भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि श्रीमती श्यामदेई ने आवेदक के पिता व विद्या प्रसाद को अपनी आराजी कैसे दी थी। पी०डब्लू०२ स्वामी नाथ ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि श्रीमती श्यामदेई के कोई संतान नहीं थी उन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी आराजी जगप्रसाद, मुक्ता प्रसाद, शान्ती प्रसाद तथा विद्या प्रसाद को मौखिक रूप से दे दिया था। विधितः सम्पत्ति का मौखिक अंतरण विधिमान्य नहीं है। उक्त के अलावा पी०डब्लू०२ स्वामी नाथ ने धारा २०२ दं०प्र०सं० अन्तर्गत अपना बयान दिनांक २०.११.१४ को दिया था बयान में अपनी उम्र ४७ वर्ष बताया है आवेदक ने श्रीमती श्यामदेई द्वारा वर्ष १९६८ में जमीन देना कहा है जब कि वास्तव में वर्ष १९६८ के आस पास इस गवाह का जन्म हुआ होगा। अतएव वर्ष १९६८ अथवा ७० के आस पास की घटनाओं के सम्बन्ध में पी०डब्लू०२ स्वामी नाथ की जानकारी होने की आशा नहीं जा सकती है।

उपरोक्त विवेचना के पश्चात न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण द्वारा किसी अपराधिक घटना का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं है। साक्ष्य के अभाव में धारा २०३ दं०प्र०सं० परिवाद खारिज होने योग्य है।”

5. Being aggrieved, the order dated 21.04.2015 was assailed by filing Criminal Revision No. 114 of 2014. The revisional Court, vide order dated 25.07.2018 dismissed the revision and affirmed the order dated 21.04.2015, which is also in issue. The relevant portion of the order reads as under:

“७) इस निगरानी न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित २१-०४-१५ को पारित करने में कोई विधि की भूल की है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए आहूत किये जाने के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट को परिवाद पत्र, धारा २०० दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा २०२ दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गये अभिकथनों को दृष्टिगत रखते हुए केवल यह देखना होता है कि क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी अपराध के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार मौजूद है अथवा नहीं और ऐसा करते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उन कारणों को, लेखबद्ध करे, जिनके आधार पर ऐसा मत प्रकट किया जाना है। बल्कि अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवाद पत्र में किये गये अभिकथनों के सम्बन्ध में उपक्रम जारी किये जाने के सम्बन्ध में यह देखना होता है कि क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं और प्रथम दृष्टया मामले का निर्धारण परिवाद पत्र में किये गये अभिकथनों व परिवादी के बयान धारा २०० दण्ड प्रक्रिया संहिता व जाँच धारा २०२ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किये ये बयानों की सूक्ष्म विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया जाये तब यह स्पष्ट होता है कि परिवाद व बयान अन्तर्गत धारा २०० व २०२ दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गये कथनों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपना १/२ भाग होने का कथन कर रहा है। परन्तु यह १/२ भाग भूमि उसे किस प्रकार या किस अभिलेख के आधार पर प्राप्त हुई इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। जबकि विपक्षीगण के पक्ष में बैनामा विद्यमान है और बैनामा के आधार पर ही प्रत्यर्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में भी अंकित किया गया है। ऐसी दशा में यदि परिवादी, उसके साथ धोखा दिये जाने का कथन करता है तब यह उसी पर निर्भर पर है कि वह उन समस्त तथ्यों को विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष रखता, परन्तु उसने इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया है कि उसके साथ फ्राड कैसे किया गया है। चूँकि बैनामा प्रत्यर्थीगण के पक्ष में विद्यमान है। परिवादी को केवल उस बैनामों के निरस्तीकरण का अधिकार प्राप्त था और वह समस्त तथ्यों को सिविल

न्यायालय के सामने रखकर उस बैनामें को निरस्त करा सकता था। जबकि परिवादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक २१-०४-२०१५ में जो निष्कर्ष दिया है वह पूर्णरूप से विधि सम्मत है। उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक परिवादी ने दिनांक १६-०३-१० की घटना के सम्बन्ध में जो कथन निगरानी में किये गये हैं, का सम्बन्ध है, तब यह साधारण प्रकृति का सम्बन्ध है, पूर्णरूप से अस्वाभाविक है और इस आधार पर प्रत्यर्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ५०४, ५०६ के अन्तर्गत भी आहूत नहीं किया जा सकता। क्योंकि परिवादी ने उन शब्दावली का उल्लेख नहीं किया है जिसके संबंध में गाली गलौज किये जाने का कथन किया गया है। यह निगरानी न्यायालय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अभिलेख के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांक २१-०४-२०१५ पारित करने में कोई विधि की त्रुटि नहीं की है। निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।"

6. Learned counsel for the petitioner while pressing the present petition stated that in dismissing the complaint, the Magistrate committed the error on fact and law both as he failed to take note of facts of the case in its true spirit including the essential ingredients to attract the offences under Sections 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 IPC.

7. Learned AGA for the State opposed the petition and stated that from a bare perusal of the story indicated in the FIR in which after investigation, the protest petition was filed and subsequently the case was treated as complaint case would indicate that the petitioner is trying to give criminal color to a civil dispute.

8. Considering the allegations levelled by the petitioner in the compliant as also by the recitals in the impugned order(s) passed by the Magistrate and Revisional Court, respectively, under consideration, as also the ingredients to attract the offence under Section(s) 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 IPC as also the in the judgments in the case of **Usha Chakraborty and another Versus State of West Bengal and another; 2023 SCC OnLine SC 90, Naresh Kumar and another Versus State of Karnataka and another; 2024 SCC OnLine SC 268** according to which converting a civil dispute to criminal proceedings should not be allowed to continue, this Court finds that the order dated 21.04.2015 passed by the Magistrate affirmed vide order dated 25.07.2018 passed by the Revisional Court are just and proper and no interference in the same is required by this Court.

9. Accordingly, the petition is ***dismissed***. Cost made easy.

10. Interim order, if any, stands vacated.

**Order Date :- 19.12.2024**

**Mohit Singh/-**